Title: Need to suitably amend Gazette Notification of September 10, 1993 Issued by Ministry of Welfare by Placing 'Sahu' or 'Rathore' after the word 'Teli' at Sl. No. 46.

* m01

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द): सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लागू आरक्षण सूची में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तेली जाति के आगे कोष्टक में राठौर लिखे जाने के कारण ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण बड़ी संख्या में प्रतिभावान उम्मीदवारों के भविष्य के सामने प्रश्नचिन्ह लग गया है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावशील अखिल भारतीय सेवाओं में सिवित सर्विसेज के लिए आरक्षण श्रेणी में सूची क्रमांक ४६ में ओ.बी.सी. के लिए क्रमांक ४६ में तेली (राठौर) अंकित है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा विशेष निवेदन है कि १० सितम्बर, १९९३ के कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर मात्र तेली शब्द, जिसमें यदि, अथवा जोड़ा जाए तो साहू अथवा राठौर शब्द को कोष्टक में जोड़कर यथासंशोधित करने की महति कृपा करें।

16.34 hrs. (Shri Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)